

3
निगा ०-5138/2018/सतना/भूरा

आयालय श्रीमान् म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट सीवा (म०प्र०)



लक्ष्मण कोल पिता हिरवा कोल, निवासी ग्राम गोविन्दपुर तहसील रामनगर

जिला सतना (म०प्र०)

अपीलांत

बनाम्

1. रामपाल धेबी पिता रामकिशोर धोबी
2. सचिव ग्राम पंचायत गोविन्दपुर
3. सरपंच ग्राम पंचायत गोविन्दपुर सभी निवासी ग्राम गोविन्दपुर तहसील

रामनगर जिला सतना (म०प्र०)

उत्तरवादीगण

निगरानी बिच्छ आदेश श्री
वी०एस०कुलेश अपर आयुक्त सीवा
संभाग सीवा लिंक कोर्ट सतना/सीधी
बाबत् प्रकरण क्रमांक-

498/अपील/2017-18 आदेश दिनांक

26/6/2018

अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व

संहिता सन् 1959ई०।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

अधिकांश अतिरिक्त
यलुवेदी डाटा पेडा।
28-8-18

सतना सर्किट कोर्ट
म० प्र० राजस्व मण्डल
ग्वालियर

(3)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0-5138/2018/सतना/भू-रा0

जिला-सतना

लक्ष्मण कोल/ रामपाल धोबी वगैरः

(1)	(2)
18.12.18	<ol style="list-style-type: none">1. आवेदक की ओर से श्री त्रिभुवन प्रसाद चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 498/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23.08.18 प्रस्तुत की गयी है।2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो। <p style="text-align: right;">सदस्य</p>